सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 239 राँची ,शुक्रवार

2 ज्येष्ठ 1936 (श०)

23 मई, 2014 (ई०)

वित्त विभाग ।

संकल्प

19 मई, 2014

विषय : संयुक्त निदेशक, उद्योग का अपुनरीक्षित वेतनमान रु॰ 14300-18300/- का पुनरीक्षित वेतनमान PB-IV, 37400-67000/- GP 8700/- एवं उपनिदेशक, उद्योग का अपुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500/- का पुनरीक्षित वेतनमान PB-III, 15600-39100/- GP 7600/- को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28.02.2009 में समावेशित करने के संबंध में।

संख्या-3/एस॰-4(वे॰पु॰)-05/2013/1738/वि०--6thPRC के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा गठित फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा राज्य कर्मियों के मामले में दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत है।

2. उक्त संकल्प में संयुक्त निदेशक, उद्योग का वेतनमान रु॰ 12000-16500/- के आधार पर पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान में PB-III, 15600-39100/- GP 7600/- का प्रतिस्थानी वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा उप निदेशक, उद्योग का अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200/- के आधार पर पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान PB-III, 15600-39100/- GP 6600/- स्वीकृत किया गया है, जबकि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 545/वि॰ दिनांक 28 सितम्बर, 2007 के द्वारा उप निदेशक, उद्योग का वेतनमान रु॰ 10000-15200/- के स्थान पर रु॰ 12000-16500/- स्वीकृत किया गया है। फलतः छठे केन्द्रीय वेतनमान में उप निदेशक, उद्योग का संशोधित

वेतनमान रु॰ 12000-16500/- के आधार पर प्रतिस्थानी वेतनमान PB-III, 15600-39100/- GP 7600/- भूलवश स्वीकृत नहीं किया जा सका।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S)No. 3898/2003 सिरिल वीरेन्द्र नाथ हांसदा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं इस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से दायर S.L.P. अस्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1484/वि॰ दिनांक 13 जुलाई, 2011 के द्वारा संयुक्त निदेशक, उद्योग का वेतनमान रु॰ 14300-18300/- स्वीकृत किया गया है, जिसका छठे केन्द्रीय वेतनमान में उक्त संकल्प के अनुसार प्रतिस्थानी वेतनमान अंकित नहीं किया जा सका। कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के बाद का है।

4. अतः वर्णित स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1484/वि॰ दिनांक 13 जुलाई, 2011 के द्वारा संयुक्त निदेशक, उद्योग एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 545/वि॰ दिनांक 28 सितम्बर, 2007 के द्वारा उप निदेशक, उद्योग के लिए स्वीकृत वेतनमान के आधार पर छठे केन्द्रीय वेतनमान में प्रतिस्थानी वेतनमान क्रमशः PB-IV, 37400-67000/- GP 8700/- एवं PB-III, 15600.39100/- GP 7600/- वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 में संशोधित एवं समावेशित समझा जाय।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 874/वि॰ दिनांक 10 मार्च, 2014 के क्रम में दिनांक 8 मई, 2014 की बैठक के मद सं॰ 39 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 239–50 ।